न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 253
दायरा तिथि : 10.07.2024
आदेश तिथि : 08-10-2025

प्रार्थी :–

जसवंतकंवर पत्नी श्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी दुदनी तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. मंगलसिंह पुत्र जब्बरसिंह
2. नरपतसिंह पुत्र जब्बरसिंह
3. दौलतसिंह पुत्र जब्बरसिंह
4. भगवानसिंह पुत्र अमरसिंह
5. मालमसिंह पुत्र अमरसिंह
6. मोहनकंवर पत्नी अमरसिंह
7. विजेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह
8. हवाकंवर पुत्री सोमसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण दूदनी तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 08-10-2025

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 548 रकबा 0.9400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 545 रकबा में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/2808 दिनांक 10.12.2024 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि में आवागमन के लिये राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खातेदार उपरोक्त वर्णित अपनी खातेदारी खसरा नंबर में आवागमन हेतु वर्तमान में प्रस्तावित खसरों से ही आना जाना करता है। मौके पर खसरा नंबर 544 के उत्तरी पश्चिमी सिरे पर पक्का निर्माण होने से आवेदक को 6 मीटर चौडाई का रास्ता दिया जाना संभव है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त रास्तो के विकल्पों में से निकटतम दुरी का है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	खसरा नंबर	रक़बा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	545	0.25	बा.सो.	52X04=208 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	544	0.80	बा.सो.	40X02=80 वर्गमीटर	1.दौलतसिंह पुत्र जब्बरसिंह 1/15 2.मंगलसिंह पुत्र जब्बरसिंह 1/15 3.नरपतसिंह पुत्र जब्बरसिंह 1/15 4.भगवानसिंह पुत्र अमरसिंह 1/6 5.मालमसिंह पुत्र अमरसिंह 1/6 6.मोहनकंवर पत्नी अमरसिंह 1/15 7.विजेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह 1/5 8.हवाकंवर पुत्री सोमसिंह 1/5 जतिगण राजपूत निवासीगण दूदनी

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार...... 02

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/253
अनवान जसवंत कंवर बनाम तहसीलदार बाली
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

4. यह है कि रास्ते के लिये प्रस्तावित भू–भाग में मौजा दूदनी (बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 545 मे से 52X(6+2)/2 अर्थात 52 X4=208 वर्गमीटर एवं खसरा नंबर 544 में से 40X(0+4)/2 अर्थात 40 X2=80 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में आयेगी।
5. यह कि निरीक्षक भू–अभिलेख बेडा द्वारा प्रस्तावित भूमि खसरा नंबर 545 की डी.एल.सी. दर 203343/– रूपये प्रति हैक्टर एवं खसरा नंबर 544 की डी.एल.सी. दर 347200/– रूपये प्रति हैक्टर
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी को रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में खसरा नंबर 544 के खातेदारों की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। खसरा नंबर 544 के खातेदार बावजूद सूचना के न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 548 रकबा 0.9400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 548 रकबा 0.9400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 544 रकबा 0.80 हैक्टर एवं राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 545 रकबा 0.25 हैक्टर में से **208+80=288 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 203343/–रूपये एवं 347200/– रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
545	0.25	52X04= 208 वर्गमीटर	21	4368X2=8736	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
544	0.80	40X02=80 वर्गमीटर	38	3040X2=6080	1.दौलतसिंह पुत्र जब्बरसिंह 1/15 2.मंगलसिंह पुत्र जब्बरसिंह 1/15 3.नरपतसिंह पुत्र जब्बरसिंह 1/15 4.भगवानसिंह पुत्र अमरसिंह 1/6 5.मालमसिंह पुत्र अमरसिंह 1/6 6.मोहनकंवर पत्नी अमरसिंह 1/15 7.विजेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह 1/5 8.हवाकंवर पुत्री सोमसिंह 1/5 जतिगण राजपूत निवासीगण दूदनी

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........03

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/253

अनवान जसवंत कंवर बनाम तहसीलदार बाली

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 14816/– (अक्षरे चौदह हजार आठ सौ सोलह रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजंकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली - पाली (राज.)

(दिनश बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2025/1373-1377

दिनांक : 14-10-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक जसवंतकंवर पत्नी श्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी दुदनी तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार | **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 22/11/2024 07:38:12 PM

...ली | तहसील : बाली | भू. अ. नि. क्षेत्र : बेडा

दूदनी | ग्राम : दूदनी(बाहरीक्षेत्र)

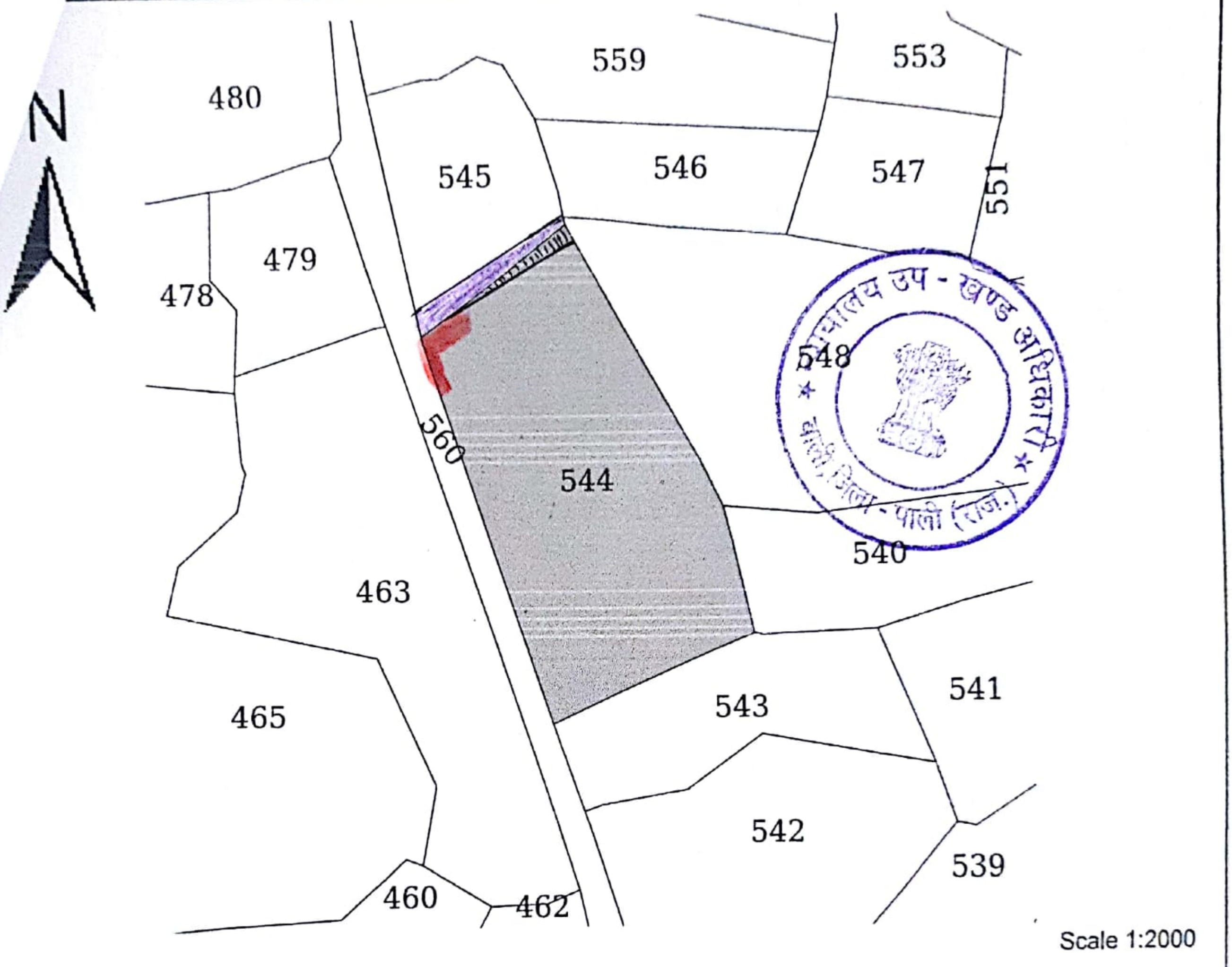

खसरा संख्या :544 क्षेत्रफल : 0.8000 Hectare खाता संख्या : 307पुराना खाता संख्या :295

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी सोयम [0.8000, 3.20]

1.) दौलतसिह पुत्र जबरसिंह हिस्सा- 1/15 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
2.) नरपतसिह पुत्र जबरसिंह हिस्सा- 1/15 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
3.) भगवानसिंह पुत्र अमरसिंह हिस्सा- 1/6 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
4.) मंगलसिह पुत्र जबरसिंह हिस्सा- 1/15 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
5.) मालमसिंह पुत्र अमरसिंह हिस्सा- 1/6 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
6.) मोहनकुंवर पत्नि अमरसिंह हिस्सा- 1/15 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
7.) विजेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
8.) हवाकुंवर पुत्री सोमसिंह हिस्सा- 1/5 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार

- पक्का निर्माण
- ख०न० 544 में से रास्ते हेतु रखा
- ख०न० 545 में से रास्ते हेतु रखा

22/11/24

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

तहसीलदार, बाली

Scanned by CamScanner